रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052025-263472 CG-DL-E-29052025-263472

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]

No. 309]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2025/ज्येष्ठ 8, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2025/JYAISTHA 8, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 मई, 2025

## आयकर

सा.का.िन. 352(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.िन. 279(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रकाशित हुई, में:—

(i) पृष्ठ संख्या 54 पर, अनुसूची 80झङ में, पंक्ति मद "कछ" के पश्चात, एक नई पंक्ति मद "कज" अंतः स्थापित की जाएगी और तदनुसार, अनुसूची 80 झङ के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

3510 GI/2025 (1)

अनुसूची	-80-	झङ	धारा ८०झङ के	अंतर्गत	कटौतियाँ			
	क	पूर्वोत्तर	में स्थित उपक्रम क	ी बाबत				
		कक	असम	कक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
				कक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
		कख	अरूणचल प्रदेश	কন্ত্ৰ1		(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
				कख2		(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
		कग	मणिपुर		उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
				कग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
तियाँ		कघ	मिजोरम	कघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
ति कटौ				कघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
धारा ८०झङ के अंतर्गत कटौतियाँ		कङ	मेघालय		उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
०झङः ह					उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
धारा ८		कच	नागालैंड	कच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
				कच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
		कछ	त्रिपुरा	कछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
				कछ2		(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
			सिक्किम	कज1	उपक्रम संख्या. 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
				कज2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)		
		कझ	पूर्वोत्तर में स्थित उ	पक्रमों व	र्क लिए कुल कटौतिर	कझ		
	ख	धारा ८०	। झङ के अंतर्गत कुल	ा कटौति	ख			

[अधिसूचना संख्या 50/2025/फा. सं. 370142/14/2025-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **CORRIGENDUM**

New Delhi, the 29th May, 2025

#### **INCOME-TAX**

G.S.R. 352(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 279(E), dated 30<sup>th</sup> April, 2025:—

(i) at page number 125, in Schedule 80IE, after row item "ag", a new row item "ah" shall be inserted and accordingly, for the Schedule 80IE, the following schedule shall be substituted, namely: —

ched	ule	<b>80-</b> ]	IE	Dedu	ctions under section	80-IE				
:	a D	edu	iction in res	pect of	undertaking located					
			Assam	aa1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
	a	ia A		aa2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
		b A	Arunachal Pradesh	ab1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
	a	P		ab2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
		.c \	Manipur	ac1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
		ic IV		ac2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
	a	d N	Mizoram	ad1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
	_	iu iv	viizoi aili	ad2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
	,	ie N	Meghalaya	ae1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
	Ľ	1	, regnaray a	ae2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
	1	af N	Nagaland	af1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
		-		af2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
	a	ıg T	Tripura	ag1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
	L			ag2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
	a	ıh S	Sikkim	ah1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)				
				ah2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	ı			
	í		Total deduct (a1 to ah2)	eduction for undertakings located in North-east (total of h2)						
1	b T	otal	l deduction	under s	section 80-IE: (ai)	b				

[Notification No.50/2025/F. No. 370142/14/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052025-263474 CG-DL-E-29052025-263474

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

No. 310]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2025/ज्येष्ठ 8, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2025/JYAISTHA 8, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 मई, 2025

## आयकर

सा.का.नि. 353(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 286(अ), दिनांक 1 मई, 2025 द्वारा प्रकाशित हुई, में:—

(i) पृष्ठ संख्या 50 पर, अनुसूची 80झङ में, पंक्ति मद "कछ" के पश्चात, एक नई पंक्ति मद "कज" अंतः स्थापित की जाएगी और तदनुसार, अनुसूची 80 झङ के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

3511 GI/2025 (1)

अनुसूची	-80-झङ	धारा ८०झङ के	अंतर्गत	कटौतियाँ				
	क पूर्वोत्त	र में स्थित उपक्रम की	वाबत व	<b>कटौतियाँ</b>				
	कर	क असम	कक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख	का ३०)		
			कक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख	का ३०)		
	कर	व अरूणचल प्रदेश	कख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख	का 30)		
				उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख	1		
	क	ग मणिपुर		उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख			
			कग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख			
तियाँ	का	घ मिजोरम		उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख			
ति कटौ				उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख			
धारा ८०झङ के अंतर्गत कटौतियाँ	कर	ङ मेघालय		उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख			
0 इन ङ				उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख			
धारा ८	कः	व नागालैंड		उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख			
				उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख			
	कर	छ त्रिपुरा		उपक्रम संख्या 1 उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख (उपक्रम के प्रपत्र गगख			
	कर	ज सिक्किम	कज1	उपक्रम संख्या. 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख			
			कज2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख			
	कड़	म्र पूर्वोत्तर में स्थित उ	उपक्रमों व	के लिए कुल कटौतिय	ग्रेग)	कझ		
	ख धारा	80झङ के अंतर्गत कुर	न कटौति		ख			

[अधिसूचना संख्या 51/2025/फा. सं. 370142/17/2025-टीपीएल] सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **CORRIGENDUM**

New Delhi, the 29th May, 2025

#### **INCOME-TAX**

G.S.R. 353(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 286(E), dated 01st May, 2025:—

(i) at page number 114, in Schedule 80IE, after row item "ag", a new row item "ah" shall be inserted and accordingly, for the Schedule 80IE, the following schedule shall be substituted, namely: —

Sche	Schedule 80-IE Deductions under section 80-IE														
	a	Dedu	ction in resp	ect of u	North-East										
		aa	Assam	aa1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of									
						the undertaking)									
		аа		aa2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of									
					Chuci taking no. 2	the undertaking)									
			Arunachal	ab1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of									
		ab			Chactaking no. 1	the undertaking)									
			Pradesh	ab2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of									
	_				chactaning not 2	the undertaking)									
				ac1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of									
		ac	Manipur			the undertaking)									
			rviampui	ac2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of									
	_					the undertaking)									
ഥ			Mizoram Meghalaya	ad1	Undertaking no. 2  Undertaking no. 2  Undertaking no. 1  (30)	(30 of Form 10CCB of									
0-I		ad				the undertaking)									
<b>∞</b>				ad2		(30 of Form 10CCB of									
n/	-			1		the undertaking)									
DEDUCTION U/S 80-IE		ae		ae1		(30 of Form 10CCB of the undertaking)									
				ae2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of									
$\mathbf{C}$				aez		the undertaking)									
D(	-	af	Nagaland	af1	Undertaking no. 1 (30 of Form 10CCB of										
DE				all		the undertaking)									
				af2		(30 of Form 10CCB of									
				a12	a12	Undertaking no. 2	the undertaking)								
	-										ag1		(30 of Form 10CCB of		
			Tripura	"gr	Undertaking no. 1	the undertaking)									
		ag		ag2		(30 of Form 10CCB of									
					Undertaking no. 2	the undertaking)									
	-		Sikkim -	ah1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of									
		ah				the undertaking)									
					TI 1 4 1 2 2	(30 of Form 10CCB of									
					Undertaking no. 2	the undertaking)									
		-:	Total deduc	ction for	undertakings located	.:									
		ai	aa1 to ah2)		<u> </u>	`	ai								
	b	Total	deduction u	b											

[Notification No. 51/2025/F. No. 370142/17/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy.